राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3890 / 2022

आदित्य जौहरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जेकब रोड़, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.08.2022
आदेश की दिनांक : 16.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी.मीणा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सही पदोन्नति न देते हुये रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध दी गई है। जबकि वर्ष 2016–17 के विरूद्ध देते हुये रिव्यू डीपीसी आयोजित की जावे और अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 के विरूद्ध सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति दी जावे तथा अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 22.10.2019 एवं 13.06.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा सहायक अभियंता की नवीन वरिष्ठता सूची जारी की जावे, जो आरपीएससी द्वारा नियुक्त डिग्रीधारी हों।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.12.2012 के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) (डिग्री) के पद पर नियुक्त किया गया था और उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 19.12.2012 को कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। अपीलार्थी की सेवा शर्तें राजस्थान इंजीनियर्स सेवा (भवन एवं सड़क शाखा) नियम, 1954 (इसके बाद संक्षेप में 1954 के नियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत शासित होती हैं। कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत के पद से

अगली पदोन्नति सहायक अभियन्ता विद्युत के कैडर में होती है। सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति के लिए नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत (डिग्रीधारी) के पद पर डिग्रीधारी तीन साल का अनुभव होना चाहिए। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2015–16 के लिए सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद हेतु डीपीसी आयोजित की और उक्त डीपीसी में वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरुद्ध सहायक अभियन्ता डिग्रीधारी के 10 पद थे। डिग्रीधारी सहायक अभियन्ता के 10 पदों में से 6 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और 2 पद एससी और 2 पद एसटी वर्ग के लिए थे परन्तु डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता का कोई भी पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण इन 10 पदों को आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2016 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी की दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर अंकित था। उक्त वरिष्ठता सूची के विरूद्ध कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त सूची को स्थाई किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.07.2016 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर 11 कार्मिकों को सहायक अभियंता विद्युत के पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पर नियुक्ति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2017 के द्वारा दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर अंकित था। वर्ष 2017–18 में सहायक अभियंता विद्युत के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर अंकित था तथा दिनांक 01.04.2017 को अपीलार्थी को 04 वर्ष का अनुभव था और इस प्रकार अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध आदेश दिनांक 18.07.2018 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। जबकि रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध सहायक अभियंता के 10 पद रिक्त थे, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया गया, परंतु वर्ष 2016–17 के रिक्त पद के विरूद्ध अपीलार्थी को पदोन्नति न देते हुये वर्ष 2017–18 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई है, जो नियम विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु योग्य था। उनका कथन है कि सहायक अभियंता की वरिष्ठता सूची आदेश दिनांक 29.05.2018 के द्वारा जारी की गई, जिसमें जुलाई, 2016 में कार्मिक नियुक्त हुए थे, जिनके नाम क्रम संख्या 36 से 48 तक दर्शाये गये हैं और जिनका चयन वर्ष 2016–17 दर्शाया गया है। अपीलार्थी ने अपने पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची के संबंध में आपत्ति दिनांक 19.08.2019, 11.05.2020 एवं 20.10.2019 को प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक अभियंता की वरिष्ठता

सूची दिनांक 22.04.2022 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 33 पर डीपीसी वर्ष 2017–18 के क्रम में दर्शाया गया और जो कार्मिक आरपीएससी द्वारा वर्ष 2016–17 में चयन हुये, उन्हें अपीलार्थी से ऊपर दर्शाया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 02.05.2022 को अभ्यावेदन दिया और प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 13.06.2022 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की। परंतु अपीलार्थी की डीपीसी वर्ष का सुधार नहीं किया गया, जिससे अपीलार्थी को एक वर्ष बाद पदोन्नति का लाभ दिया गया है। उनका यह भी कथन है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 390/2022 मनोज कुमार रावत बनाम प्रशासनिक सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में पारित आदेश दिनांक 22.05.2024 एवं अपील संख्या 136/2023 सुनील कुमार मीणा बनाम प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अपीलार्थी के समान तथ्यों एवं आधारों पर आधारित प्रकरण था, जिसे स्वीकार किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की डीपीसी वर्ष में सुधार नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सही पदोन्नति न देते हुये रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध दी गई है। जबकि वर्ष 2016–17 के विरूद्ध देते हुये रिव्यू डीपीसी आयोजित की जावे और अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 के विरूद्ध सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति दी जावे तथा अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 22.10.2019 एवं 13.06.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा सहायक अभियंता की नवीन वरिष्ठता सूची जारी की जावे, जो आरपीएससी द्वारा नियुक्त डिग्रीधारी हों।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.12.2012 द्वारा कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारक के रूप में नियुक्त किया गया था। मुख्य अभियंता एवं उप शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 27.07.2016 द्वारा दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारी की एक अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की एवं अपीलार्थी की स्थिति को क्रम संख्या 1 पर दर्शाया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 की सहायक अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारी की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी

आयोजित नहीं की गई। जबकि अपीलार्थी सहायक अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारी के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 3 वर्ष का अनुभव धारित करने के आधार पर दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में पात्र था एवं 3 वर्ष की पात्रता सेवाकाल पूर्ण कर चुका था, परन्तु अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.07.2018 द्वारा वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर दिनांक 01.04.2017 से पदोन्नत किया गया। जबकि रिक्ति वर्ष 2015–16 में पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध थे। प्रत्यर्थी विभाग का दायित्व बनता है कि वह वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण कर डीपीसी आयोजित कर नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही सम्पादित की जावे। प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि सहायक अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए डिग्रीधारक को 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है एवं अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.2016 को कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारक के पद पर 3 वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया है, लेकिन राजस्थान इंजीनियर्स सेवा (बी एंड आर) शाखा नियम, 1954 के नियम 23 (ए) के अनुसार किसी भी अधिकारी की पदोन्नति पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह नीचे के पद पर संस्थाई रूप से नियुक्त और स्थायी न कर दिया जाए। अपीलार्थी के साथ अन्य कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारक, जिन्हें वर्ष 2012–13 में नियुक्त किया गया है, को मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी आदेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा 2 वर्ष की संतोषजनक सेवाएं पूरी करने की तारीख से स्थाईकरण किया है एवं अन्य पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से वर्ष 2016–17 की रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया एवं डीपीसी आयोजित नहीं की गई। चूंकि अपीलार्थी एवं अन्य कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) डिग्री धारक को कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) डिग्री धारक के पद पर स्थायी नहीं किया गया था। इस कारण वर्ष 2016–17 में पदोन्नति नहीं की गई। रिक्तियों की उपलब्धता और पात्र उम्मीदवारों की वरिष्ठता के अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 के लिए रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है।

उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक 01.04.2016 को सहायक अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारी के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित तीन वर्ष का अनुभव धारित करता है। दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में वरीयता क्रमांक 3 पर उसका नाम अंकित है। वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु तैयार की गई प्रश्नावली में 10 पद पदोन्नति हेतु रिक्त दर्शाये गये है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच या अन्य कार्यवाही लंबित होने के तथ्य पत्रावली पर नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के संबंध में डीपीसी का आयोजन नहीं किया जाकर वर्ष 2017–18 हेतु आयोजित डीपीसी में

अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तो अपीलार्थी को पदोन्नति उसकी पात्रता के बावजूद एक वर्ष विलंब से होने से पदोन्नत पद पर वरिष्ठता का एक वर्ष का नुकसान हुआ एवं वर्ष 2016–17 में सीधी भर्ती से चयनित हुए सहायक अभियंताओं से कनिष्ठ हो गया, जो सहायक अभियंता की वरिष्ठता सूची के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी विभाग का वर्ष 2016–17 की डीपीसी का आयोजन नहीं करने का यह तर्क है कि अपीलार्थी एवं उनके साथ नियुक्त कार्मिकों का स्थाईकरण नहीं हुआ था एवं अन्य पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं थे, परंतु यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2017–18 की डीपीसी में पदोन्नति की दशा में भी अपीलार्थी का स्थाईकरण नहीं किया गया था। अपीलार्थी एवं उनके साथ नियुक्त कार्मिकों को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा दिनांक 19.12.2014 से स्थाईकरण किया है। अतः अत्यंत विलंब से किये गये स्थाईकरण में अपीलार्थी का कोई दोष/त्रुटि नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग को बिना कारण जान–बूझकर किसी कार्मिक को स्थाईकरण को लंबित रखकर उसे अनुचित नुकसान एवं अन्य कार्मिकों को अनुचित लाभ पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी का स्थाईकरण दिनांक 19.12.2014 से हो चुका है। लिहाजा अपीलार्थी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्र है।

अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलार्थी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारी के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव धारित करता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि सहायक अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारी के वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के संबंध में डीपीसी आयोजित की जाकर अपीलार्थी के पदोन्नति प्रकरण पर विचार किया जाकर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारी के पद पर अन्यथा पात्र पाये जाने पर पदोन्नति प्रदान की जावे एवं सहायक अभियंता (विद्युत) डिग्रीधारी की वरिष्ठता सूची में भी यथानुरूप संशोधन कर अपीलार्थी की वरिष्ठता निर्धारित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)